भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4963**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023/10 चैत्र, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से होने वाली बीमारियां

4963. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत द्वारा उर्वरकों के वार्षिक निर्यात की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों के लक्षण बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): वर्ष 2020-21 के दौरान भारत द्वारा उर्वरकों के निर्यात की मात्रा लगभग 270 टन तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 144 टन थी।

(ख) और (ग): भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सूचित किया है किः

"मृदा प्रकार और उगाई गई फसल के आधार पर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 30-50% के बीच होती है। शेष नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रेट लीचिंग के माध्यम से खत्म हो जाता है (जिसके कारण भूजल में 10 मिलीग्राम एनओ$_3$-एन/एल की अनुमेय सीमा से ऊपर नाइट्रेट संदूषण होता है)।

इस प्रकार, आईसीएआर ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक, हरित खाद आदि) दोनों के संयुक्त उपयोग, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के विभाजित अनुप्रयोग और यथोचित प्रयोग, धीमी गति से घुलने वाले एन-उर्वरकों, नाइट्रिफिकेशन अवरोधकों का प्रयोग और नीम लेपित यूरिया के प्रयोग आदि के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन प्रक्रियाओं की सिफारिश करता है।"

कृषि उत्पादन में उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। देश भर में क्लस्टर मोड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में पीकेवीआई को क्रियान्वित किया जाता है। पीकेवीवाई स्कीम के तहत, किसानों को 3 वर्ष के लिए 50000 रुपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसमें से आर्गेनिक आदानों जैसे बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, आर्गेनिक खाद, कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को प्रदान किये जाते हैं। पीकेवीवाई स्कीम के तहत, सरकार ऑर्गेनिक खेती के संबंध में किसानों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु 7500/हेक्टे./किसान/3 वर्ष की दर से सहायता प्रदान कर रही है। घरेलू ऑर्गेनिक बाजार के विकास हेतु सरकार द्वारा एक निम्न लागत का सहभागिता (पार्टिसिपेटरी) गारंटी सिस्टम (पीजीएस) प्रमाणीकरण आरंभ किया गया है। इस स्कीम के तहत, किसानों को प्रमाणीकरण हेतु 2700/हेक्टे./3 वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, वैल्यू एडीशन, विपणन तथा ब्राण्ड निर्माण हेतु 8800/हेक्टे./3 वर्ष की दर से सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत, किसानों को ऑर्गेनिक उर्वरकों सहित अधिप्राप्ति/फार्म पर ऑर्गेनिक आदानों के उत्पादन के लिए 32500 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष की दर पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता शिविरों, वेबीनारों, नुक्कड़ नाटकों, खेतों पर प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि जैसी अलग-अलग गतिविधियों के जरिये नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

****